

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना चरखारी का किया गया औचक निरीक्षण, दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक 04.04.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह द्वारा थाना चरखारी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, मिशन शक्ति केन्द्र, साइबर हेल्प डेस्क, आवासीय बैरक सहित थाना परिसर के विभिन्न अनुभागों का गहन अवलोकन किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र के प्रमुख अपराधों की समीक्षा करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों, संवेदनशील स्थलों एवं मुख्य मार्गों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही भूमि विवाद एवं अन्य आपराधिक प्रकृति के मामलों की समीक्षा कर उनके त्वरित, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

आगामी 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु जुलूस/कार्यक्रमों के रूट निर्धारण, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा आयोजकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए, जिससे सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न हो सकें।

निरीक्षण के दौरान अपराध रजिस्टर, त्योहार रजिस्टर, भूमि विवाद रजिस्टर, हिस्ट्रीशीटर रजिस्टर, फ्लाइंशीट एवं टॉप-10 रजिस्टर का गहन परीक्षण किया गया। अभिलेखों के अद्यावधिक रख-रखाव, नियमित प्रविष्टि एवं सूचनाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया, जिससे प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे।

पुलिस अधीक्षक द्वारा हिस्ट्रीशीटर एवं सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों की समीक्षा कर उनके विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सतत निगरानी एवं समय-समय पर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए।

मिशन शक्ति केन्द्र एवं साइबर हेल्प डेस्क के निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया गया कि वहां तैनात पुलिस कर्मियों को अन्य कार्यों में न लगाया जाए तथा प्रत्येक पीड़ित को त्वरित एवं प्रभावी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

थाना परिसर का भ्रमण कर आवासीय बैरकों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था, मालखाना, हवालात एवं कार्यालय कक्षों की स्थिति का जायजा लेकर लावारिस/जब्त वाहनों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त रात्रि गश्त को और अधिक सुदृढ़ बनाने, संवेदनशील स्थानों पर नियमित चेकिंग करने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा बीट पुलिसिंग को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह सहित समस्त थाना स्टाफ उपस्थित रहा।



मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद

महोबा में व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित

मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थानों में व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2026 को जनपद महोबा में विभिन्न जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उक्त कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में संपन्न कराए गए।

कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस टीमों द्वारा बाजारों, सार्वजनिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं ग्राम/कस्बा क्षेत्रों में पहुंचकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया तथा उन्हें आश्वस्त किया गया कि किसी भी प्रकार की शिकायत, उत्पीड़न अथवा आपात स्थिति में पुलिस द्वारा त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी।

पुलिस टीमों ने महिलाओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध एवं अन्य महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, 112, 181 आदि एवं मिशन शक्ति केंद्रों की सेवाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रति प्रेरित करते हुए यह संदेश दिया गया कि वे किसी भी प्रकार की समस्या के संबंध में निडर होकर पुलिस से संपर्क करें।

जनपद महोबा पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा उनके प्रति होने वाले अपराधों की रोकथाम हेतु निरंतर सक्रिय एवं प्रतिबद्ध है।



थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम ने

01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 03.04.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय द्वारा गठित उ0नि0 सुषमा चौधरी व उ0नि0 रोशन गुप्ता मय हमराह हे0कां0 अमित नागर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 130/2026 धारा 331(4)/296/351(2)/65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त इरशाद पुत्र स्व0 अहमद उम्र 30 वर्ष निवासी मकनियापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को नया प्राईवेट बस स्टैंड छतरपुर रोड थाना कोतवाली नगर महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

इरशाद पुत्र स्व0 अहमद उम्र 30 वर्ष निवासी मकनियापुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुषमा चौधरी
2. उ0नि0 रोशन गुप्ता
3. हे0कां0 अमित नागर



“महोबा पुलिस की तत्परता से बची महिला की जान”

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी के निकट पर्यवेक्षण में जनपद की डायल-112 पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

आज दिनांक 04.04.2026 को समय 08:33 बजे डायल-112 पर कॉलर रामबिहारी पुत्र राम आसरे निवासी तमौरा थाना खन्ना जनपद महोबा द्वारा सूचना दी गई कि उसकी पत्नी गुड़िया ने घरेलू विवाद के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है।

सूचना प्राप्त होते ही PRV-5824 द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मौके पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, जहां महिला गुड़िया द्वारा फांसी लगाने का प्रयास किया गया था। पुलिस टीम द्वारा तत्काल सूझबूझ का परिचय देते हुए महिला को सुरक्षित उतारकर उपचार हेतु तत्काल CHC कबरई पहुंचाया गया।

चिकित्सकों द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है तथा उसे खतरे से बाहर बताया गया है। पुलिस की तत्परता एवं संवेदनशीलता से एक बड़ी अनहोनी टल गई और महिला की जान बचाई जा सकी।

उल्लेखनीय है कि उक्त महिला चार बच्चों की मां भी है, जिससे स्थिति की गंभीरता और भी अधिक संवेदनशील हो जाती है। ऐसे विषम परिस्थितियों में डायल-112 पुलिस टीम द्वारा त्वरित एवं मानवीय हस्तक्षेप करते हुए न केवल एक जीवन को बचाया गया, बल्कि उन चार मासूम बच्चों को भी मातृस्नेह से वंचित होने से बचा लिया गया। यह कार्य पुलिस की संवेदनशीलता, कर्तव्यनिष्ठा एवं समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। पुलिस टीम द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य की स्थानीय जनता द्वारा प्रशंसा की जा रही है।

PRV-5824 पर ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों का विवरण -

1. कमांडर - उ0नि0 रामकरन
2. सब कमांडर - प्रभुजी मिश्रा
3. चालक - उ0नि0 मो. शाहिद



थाना अजनर पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल कुल्हाड़ी बरामद...।

दिनांक 02.04.2026 को वादिनी श्रीमती ऊषा अनुरागी पत्नी सतीश अनुरागी निवासी ग्राम दौरिया, थाना नौगांव, जनपद छतरपुर (म0प्र0) द्वारा थाना अजनर पर लिखित तहरीर दी गई कि ग्राम धवर्वा में उनके पति सतीश अनुरागी, जो काम की तलाश में वहाँ आए थे, को अभियुक्त द्वारा अनायास गाली-गलौज की गई। विरोध करने पर अभियुक्त ने जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उनके पति के गर्दन के पास गंभीर चोट आई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अजनर पर मु0अ0सं0 54/26 धारा 109(1)/352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अजनर श्री सुभाष चन्द्र द्वारा पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए दिनांक 03.04.2026 को धवर्वा रोड वीरपुरा तिराहा के पास से अभियुक्त मनीष अहिरवार पुत्र स्व0 चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल अहिरवार (उम्र करीब 20 वर्ष), निवासी ग्राम आमखेरा थाना ईशानगर, जनपद छतरपुर (म0प्र0), हाल पता ग्राम धवर्वा थाना अजनर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद धारदार कुल्हाड़ी (आलाकत्ल) बरामद की गई। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

मनीष अहिरवार पुत्र स्व0 चुन्ना उर्फ चुन्नीलाल अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम आमखेरा थाना ईशानगर, जनपद छतरपुर (म0प्र0), हालपता ग्राम धवर्वा थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 दिनेश सिंह चन्देल
2. कां0 अमन यादव
3. कां0 अजीत यादव



थाना खरेला की पुलिस टीम ने

03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 04.04.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी, श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल यादव द्वारा गठित उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश मय हमराह उ0नि0 तबरेज आलम, हे0का0 प्रदीप कुमार व म0का0 तेजस्वनी गौर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 24/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.जगभान पुत्र रामभरोसी 2.रामभरोसी पुत्र मूलचन्द 3.श्रीमती सुनीता पत्नी रामभरोसी समस्त निवासीगण ग्राम सलुहा थाना खरेला जनपद महोबा को कमलखेड़ा सलुहा तिराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
2. उ0नि0 तबरेज आलम
3. हे0का0 प्रदीप कुमार थाना खरेला जिला महोबा
4. म0का0 तेजस्वनी गौर थाना खरेला जिला महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1. जगभान पुत्र रामभरोसी उम्र करीब 23 वर्ष
 2. रामभरोसी पुत्र मूलचन्द उम्र करीब 47 वर्ष
 3. श्रीमती सुनीता पत्नी रामभरोसी उम्र करीब 44 वर्ष
- समस्त नि0 ग्रा0 सलुहा थाना खरेला जिला महोबा।



थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने 01 किलो 21 ग्राम अवैध सूखे गाँजा के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थों के रोकथाम अभियान के क्रम में आज दिनांक 04.04.2026 अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्री रविकान्त गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा गठित उ0नि0 हरीशंकर यादव मय हमराह उ0नि0 मोहम्मद शोएब, कां0 विक्की चौधरी व कां0 प्रभात कुमार के नेतृत्व मे पुलिस टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्तियों/वांछित व वारन्टियों की तलाश के दौरान रेलवे स्टेशन से फायर ब्रिगेड को जाने वाले तिगैला के पास से अवैध गाँजा के साथ 01 नफर अभियुक्त जितेन्द्र सोनी पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार सोनी उम्र करीब 40 वर्ष निवासी गोंदी चौराहा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को पुलिस हिरासत में लिया गया। जिसके कब्जे से 01 किलो 21 ग्राम नाजायज सूखा गाँजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2026 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

जितेन्द्र सोनी पुत्र स्व0 राजेन्द्र कुमार सोनी उम्र करीब 40 वर्ष निवासी गोंदी चौराहा कस्बा व थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम -

1. उपनिरीक्षक हरीशंकर यादव
2. उ0नि0 मोहम्मद शोएब
3. कां0 विक्की चौधरी
4. कां प्रभात कुमार

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 21 ग्राम नाजायज सूखा गाँजा बरामद किया गया।



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सर्किल कुलपहाड़ के सभी थानों का अर्दली रूम किया गया, थानाक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं लंबित विवेचनाओं के शीघ्र व निष्पक्ष निस्तारण के लिए निर्देश...।

आज दिनांक 04.04.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा सर्किल कुलपहाड़ के समस्त थानों का अर्दली रूम आयोजित किया गया। अर्दली रूम में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री विनोद कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार व थाना प्रभारी अजनर सहित सर्किल के समस्त विवेचक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर प्रचलित अभियानों सहित लंबित विवेचनाओं की गहन समीक्षा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रत्येक प्रकरण की विवेचना प्रगति का विस्तारपूर्वक अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत निस्तारण हेतु स्पष्ट एवं सख्त निर्देश दिए गए।

उन्होंने निर्देशित किया कि विवेचनाओं में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं होगी तथा पारदर्शिता, साक्ष्य संकलन की गुणवत्ता, पीड़ितों के हितों की रक्षा एवं विधिक प्रक्रियाओं के पूर्ण अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। साथ ही विवेचकों को प्रत्येक प्रकरण में उत्तरदायित्व एवं संवेदनशीलता के साथ प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने के निर्देश दिए गए।

अर्दली रूम के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सर्किल कुलपहाड़ क्षेत्र में प्रभावी पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति की जानकारी प्राप्त की एवं जनसुरक्षा से संबंधित समस्याओं को का स्थलीय निरीक्षण किया।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र में नियमित पैदल गश्त, सघन रात्रि गश्त तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित की जाए, जिससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो एवं आमजन में सुरक्षा का भाव और अधिक सुदृढ़ बना रहे।

